<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99</u>

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-10032023-244259 SG-DL-E-10032023-244259

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76] दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 2023/ फाल्गुन 19, 1944 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 516 No. 76] DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 2023/ PHALGUNA 19, 1944 [N. C. T. D. No. 516

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग अधिसूचना

दिल्ली. 9 मार्च. 2023

सं. फा. 14(69)/एलए—२०२०/dsadvice/131-139.—भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2023 को मिली सहमति के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा का निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के (वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, २०२३ (२०२३ का दिल्ली अधिनियम ०६)

4 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[9th March, 2023]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के (वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1994 में पुनः संशोधन करने के लिए। भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** — (1) इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के (वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा ।

1606 DG/2023 (1)

- (2) यह उप-राज्यपाल द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथानियत तिथि से प्रवृत्त होगा।
- 2. **धारा 3 का संशोधन** :— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के (वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1994 (1995 का दिल्ली अधिनियम 7) (इसके पश्चात ''मूल अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) की धारा 3 के लिए निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्—
 - ''(3) अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ऐसे वेतन, भत्ते तथा अन्य पात्रताओं को प्राप्त करने के पात्र होंगे जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्री (वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत किसी मंत्री को ग्राह्य है। ''
- 3. **धारा 4 तथा धारा 5 का लोप और धारा 7,एवं धारा 8 का पुनःक्रमांकन** मूल अधिनियम में धारा 4, धारा 5 तथा धारा 6 का लोप किया जाएगा और धारा 7, धारा 8 एवं धारा 9 का पुनःक्रमांकन किया जाएगा जैसा कि क्रमशः धारा 4, धारा 5 तथा धारा 6 में किया गया है।

भरत पाराशर, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS NOTIFICATION

Delhi, the 9th March, 2023

F.14/(69)/LA-2020/dsadvice/131-139.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 14^{th} February, 2023 and is hereby published for general information:-

"THE SPEAKER AND DEPUTY SPEAKER OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (SALARIES AND ALLOWANCES) (AMENDMENT) ACT, 2023"

(DELHI ACT NO. 06 OF 2023)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 4th July, 2022).

[9th March 2023]

An Act to further to amend the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-third year of the Republic of India as follows:-

- 1. **Short title, and commencement**.- (1) This Act may be called the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Act, 2023.
- (2) It shall come into force on such date as the Lieutenant, Governor may, by notification in the official Gazette, appoint.
- **2.** Amendment of section 3. In the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994 (Delhi Act 7 of 1995) (hereinafter referred to as the principal Act), for section 3, the following section shall be substituted, namely:-
 - "(3) The Speaker and Deputy Speaker shall be entitled to receive a salary, allowances, and such other entitlements as are admissible to a Minister under the Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994.".
- **3.** Omission of section 4 and section 5 and re-numbering of section 7 and section 8. In the principal Act, section 4, section 5 and section 6 shall be omitted, and section 7, section 8 and section 9 shall be re-numbered as section 4, section 5 and section 6, respectively.

BHARAT PARASHAR, Principal Secy. (Law, Justice & Legislative Affairs)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-11032023-244274 SG-DL-E-11032023-244274

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81] दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 2023/फाल्गुन 19, 1944 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 521 No. 81] DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 2023/PHALGUNA 19, 1944 [N. C. T. D. No. 521

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 मार्च, 2023

सं. फा 14(69)/एलए-२०२०/dsadvice/176-184.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के (वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, २०२३ (२०२३ का दिल्ली अधिनियम ०६) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, 14 फरवरी, 2023 उक्त अधिनियम को प्रवृत होने की तिथि निश्चित करते हैं।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

भरत पाराशर, प्रधान सचिव

1614 DG/2023 (1)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS NOTIFICATION

Delhi, the 9th March, 2023

No. F. 14(69)/LA-2020/dsadvice/176-184.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of section 1 of the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Act, 2023 (Act No. 6 of 2023), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby, appoints the 14th February, 2023 as the date on which the aforesaid Act shall come into force.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

BHARAT PARASHAR, Principal Secy.